

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936

No. 456]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

# शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

का.आ. 627(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2014 की सं. का.आ. 1556(अ), की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपित्त/सुझाव प्राप्त हुए थे और केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन : धौला कुआं में 9000.0 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का भू-उपयोग नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो-2021 के अनुसार भूमि	भूमि उपयोग निम्नलिखित	सीमाएं
			उपयोग	में परिवर्तित	
1	प्रस्तावित स्थल जोन-'एफ' में धौलाकुआं स्थित विद्यमान बी.एस.ई.एस. सब-स्टेशन से सटा हुआ है और रिंग रोड एवं एन एच-8 के चौराहे पर अवस्थित है।	9000 वर्गमीटर	मनोरंजनात्मक (सिटी पार्क, जिला पार्क, सामुदायिक पार्क, आरक्षित वन)	उपयोगिता (रिले/रिसीविग सब-स्टेशन	पूर्व : बी.एस.ई.एस सब स्टेशन पश्चिम : जिला पार्क उत्तर : एन एच-8 एवं पेट्रोल पम्प दक्षिण :जिला पार्क (आरक्षित वन) आत्मा राम कॉलेज

## शर्ते :

- (क) क्योंकि यह भूमि आरक्षित वन क्षेत्र की है इसलिए वन विभाग और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों से डी.एम.आर.सी अनापत्ति प्राप्त करेगा।
- (ख) पेड़ कटने से संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से डी.एम.आर.सी आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करेगा। यदि अपेक्षित हुआ, तो सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार।

[फा. सं. के-13011/16/2014-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27 February, 2015

- **S.O. 627(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1040 (E) dated 26.04.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions were received and the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

### **Modification:**

The land use of an area 9000.0 sqm at Dhaula Kuan is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
The proposed site is located at the intersection of Ring Road & NH-8 adjoining the existing BSES Sub-Station at Dhaula Kuan in Zone-'F'.	9000 sqm	Recreational (City Park, District Park, Community Park, Reserve forest)	Utility (Relay/Receiving substation)	East: BSES sub-station West: District Park North: NH-8 and Petrol Pump South: District Park (Reserve Forest) Atma Ram College

# **Conditions:**

- (a) DMRC shall obtain clearances from Forest Department and other concerned statutory bodies since the land is falling within the Reserve Forest area.
- (b) DMRC shall obtain necessary clearances from statutory Authorities concerned form cutting of trees. If required, as per the statutory requirement.

[F. No. K-13011/16/2014-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.